न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान दलीप कुमार बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या – ....47..../2026
निर्णय दिनांक ..26/02/..2026....

दलीप कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू।

–प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड कृषि भूमि रोही मौजा मिखाला पटवार हल्का मिखाला तहसील तारानगर के खाता संख्या 572 खसरा सं. 1230/247 तादादी 5.3024 हैक्ट भूमि में दीपचन्द पुत्र राजेन्द्र है जबकि आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड में नाम दलीप कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दीपचन्द पुत्र राजेन्द्र के स्थान पर दलीप कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार अंकित किये जाने की कृपा करावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार तारानगर के पत्रांक एल.आर/207 दिनांक 09.02.2026 द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक जांच रिपोर्ट के प्रार्थी का नाम जमाबंदी में दीपचन्द पुत्र राजेन्द्र है जबकि आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम दलीप कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार है। अतः दीपचन्द पुत्र राजेन्द्र की जगह प्रार्थी का नाम दलीप कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार करने की कृपा करें।

तहसीलदार तारानगर से प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम दीपचन्द पुत्र राजेन्द्र व दलीप कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है तथा दीपचन्द पुत्र राजेन्द्र की बजाय दलीप कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार किये जाने की अभिशंषा की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम दलीप कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दीपचन्द पुत्र राजेन्द्र अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा मिखाला पटवार हल्का मिखाला तहसील तारानगर के खाता संख्या 572 खसरा सं. 1230/247 तादादी 5.3024 हैक्ट भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम दीपचन्द पुत्र राजेन्द्र **Delete** कर इसके स्थान पर दलीप कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/02/2026. को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner